मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

अजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी डोभी

उनवान

बनाम 1 इन्द्रसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट नि० डोभी
2. सुनितादेवी पुत्री इन्द्रसिंह
3. SBI शाखा भादरा
4. State तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 125/2019

निर्णय दिनांक :– 26/11/2021

वादी की ओर से वकील दीपपाल बेरवाल की व प्रतिवादी सं0..... की ओर से वकील उमेद मोडसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता संख्या 6/3,7 के मु॰न॰ 188, 202, 205, 225, 226, 230, 231, 250 व 251 के कुल किता 84 की कुल 21.2520 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से वादी अजीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुनिता देवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़